Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 157–2018/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018 (BHADRA 26, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

संख्या 17/16/99–1TCP.– पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) की धारा 25 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, इसके द्वारा, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ;

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद, सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।

2. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन नियम, 1965 में, नियम 130 में, उप–नियम (12) के बाद, अन्त में, निम्नलिखित उप–नियम जोड़ः जाएंगे, अर्थात् :–

"(13) अधिकरण के सदस्य, प्रत्येक छह मास की पूर्ण सेवा के लिए पन्द्रह दिन के अर्जित अवकाश के लिए हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त, वे राज्य में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के समरूप ग्रेड अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय आकस्मिक और अन्य अवकाशों के लिए भी हकदार होगें तथा अध्यक्ष को सदस्यों के अवकाश स्वीकृत करने की सम्पूर्ण शक्तियाँ होंगी।

(14) सदस्यों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन अधिकरण के साथ अनकी पदावधि की समाप्ति के समय पर उनके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के सम्बन्ध में अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते के समकक्ष नकद भुगतान किया जा सकता है, अर्थात् :–

(क) अनुज्ञयता तथा ऐसा भुगतान एक सौ पचास दिन के अर्जित अवकाश की अधिकतम अवधि के लिए सीमित सीमा होगा ;

(ख) इस प्रकार अनुज्ञेय नकद, अधिकरण के साथ उसकी पदावधि के समापन पर भुगतानयोग्य होगा और एक बारगी भुगतान के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा;

(ग) अवकाश वेतन तथा मंहगाई भत्ते की दर, सेवानिवृत्ति की तिथि पर अर्जित अवकाश के लिए किसी सदस्य को यथा अनुज्ञेय के समरूप होगी और कोई भी प्रतिपूर्ति भत्ता और/अथवा आवास किराया भत्ता भुगतान योग्य नहीं होगा; तथा

(घ) अध्यक्ष, को सदस्यों के ऐसे लाभों को स्वीकृत करने की सम्पूर्ण शक्तियां होंगी।"।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 17th September, 2018

No. 17/16/99-1TCP.— The following draft of the rules further to amend the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in its application to the State of Haryana, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of the Section 25 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of rules shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received in writing by the Secretary to Government, Haryana, Town and Country Planning Department Haryana, Chandigarh from any person with respect to the draft rules, before the expiry of the period so specified:-

Draft Rules

1. These rules may be called the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Rules, 2018.

2. In the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Rules, 1965, in rule 130, after sub-rule (12), the following sub-rules shall be added at the end, namely:–

(13) The member of the Tribunal shall be entitled for earned leave of fifteen days in every six months of completed service. In addition, he shall be entitled for casual and other leaves as admissible to the Corresponding Grade Officers of the Indian Administrative Service posted in the State and the Chairman shall have powers to sanction the leave of the members.

(14) The member may be paid cash equivalent to leave salary and dearness allowance in respect of the period of earned leave at his credit at the time of conclusion of his term with Tribunal subject to the following conditions, namely:–

(a) The admissibility and such payment shall be limited to a maximum period of one hundred and fifty days earned leave;

(b) the cash so admissible shall become payable on conclusion of his tenure with the Tribunal and be paid in one lump sum as a one time settlement;

(c) The rate of leave salary and dearness allowance shall be the same as admissible to a member for earned leave on the date of retirement and no compensatory allowance and/or house rent allowance shall be payable".

(d) The Chairman, shall have full powers to sanction such benefits to the members.

A.K. SINGH,
Principal Secretary to Government Haryana,
Town and Country Planning Department, Chandigarh.

8366—C.S.—H.G.P., Pkl.